भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1787

04 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: अलाभकारी मूल्यों के कारण कृषि कार्यों का छोड़ा जाना

1787. श्री जावेद अली खान:

श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक, वर्ष-वार और राज्य-वार कितने किसानों ने अपनी उपज की अलाभकारी कीमत के कारण कृषि का अपना पुश्तैनी कार्य छोड़ दिया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष-वार और जिले-वार कितने किसानों ने अपना पेशा छोड़ा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल की अलाभकारी कीमतों के कारण खेती छोड़ देने वाले किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। हालाँकि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार और बेरोज़गारी के संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस (जुलाई, 2021 – जून, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सामान्य स्थिति में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत वितरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सामान्य स्थिति में कार्यरत श्रमिकों का वितरण (%)
2019-20	45.6
2020-21	46.5
2021-22	45.5

सरकार ने लघु किसानों सहित किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासपरक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया है। इनमें शामिल हैं:

(i) पीएम-किसान के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष तीन समान किश्तों में 6000 रुपये की अनुपूरक आय का अंतरण।
(ii) उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि।
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा।
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच।
(v) 100,000 करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल।
(vi) एफसीआई संचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति।
(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि फसलों के अतिरिक्त डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है।
(viii) 10,000 एफपीओ का गठन और विकास।
(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।
(x) कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
(xi) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन इत्यादि के तहत मिलने वाले लाभ।
(xii) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर बल देना।
(xiii) आदान लागत को कम करने के लिए किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति।

पिछले छह वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र मे 4.4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है।

*****